

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक प.8(ग)(94)नियम / डीएलबी/ 21/ 12-309

जयपुर, दिनांक 1/6/22

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 102 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना प.8(ग)(03)नियम / डीएलबी / 10/7774 दिनांक 24.03.2017 को एतद्वारा विलोपित किया जाता है।

विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.8(ग)(03)नियम / डीएलबी / 10/9356 दिनांक 24.08.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना दिनांक 24.08.2016 के बिन्दु संख्या 8 के खण्ड (iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाकर राज्य सरकार एतद्वारा निम्नानुसार नगरीय विकास कर उद्ग्रहित करने का निर्देश देती है:-

"8(iii). Tourism एवं Hospitality Sector पर औद्योगिक दर से नगरीय विकास कर उद्ग्रहणीय होगा अर्थात् निम्नांकित पर्यटन इकाईयों को औद्योगिक श्रेणी में माना जाकर औद्योगिक दर से नगरीय विकास कर देय होगा:-

- (a). होटल एवं मोटल, हैरिटेज होटल, बजट होटल, रेस्टोरेन्ट या कैफेटेरिया, रिसोर्ट, स्पोर्ट्स रिसोर्ट, हैल्थ रिसोर्ट स्पा, कैम्पिंग साईट, अम्बूजमेन्ट पार्क, एनिमल सफारी पार्क, माइस/कन्वेन्शन सेन्टर, म्युजियम, रोप-वे, ट्रॉयरिस्ट लंगरी कोच, कैरावेन, कूज ट्रॉयरिज्म;
- (b). ग्रामीण पर्यटन योजना में प्रस्तावित इकाईयों;
- (c). राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाईयों;
- (d). मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY) के अन्तर्गत लाभ प्राप्त पर्यटन इकाईयों;
- (e). राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड/राजस्थान राज्य होटल निगम के अधिकार क्षेत्र की पर्यटन इकाईयों यथा होटल/मोटल/मिडवे/कैफेटेरिया आदि;
- (f). केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन समर्त राजकीय संग्रहालय।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 1/6/22

क्रमांक प.8(ग)(94)नियम / डीएलबी/ 21/ 12-309-814

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

5. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिकाये समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त / उपायुक्त / अधिशासी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाये समस्त राजस्थान।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
9. समस्त अधिकारी निदेशालय।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
11. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. निदेशक / अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
13. सुरक्षित पत्रावली।

\\ \\
(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी